न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः— रमेश देव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 270 / 2021

वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः— 88 / 53 आरटीए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. ईशर सिंह | पि. हरि सिंह
2. तरसेम सिंह |
3. हरमीत सिंह | पि. जवाहर सिंह
4. संदीप सिंह |
5. गुरदेव सिंह पुत्र उदय सिंह
6. नन्द कौर पत्नी गुरदेव सिंह
7. जगसीर सिंह | पि. नरोता सिंह
8. जगजीत सिंह |

जाति अराई सा. मानकसर तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़

वादीगण

बनाम

1. शकुन्तला देवी पत्नी जवाहर सिंह
2. छिन्द्र कौर | पुत्रीयां जवाहर सिंह
3. जीत कौर |
4. बलविन्द्र कौर |
5. कैलाश कौर पत्नी नरोता सिंह
6. बन्तो कौर | पुत्रीयां नरोता सिंह
7. परमजीत कौर |
8. संतोष कौर |
9. प्रियंका |
10. जगसीर सिंह | पि. दारा सिंह
11. संदीप सिंह |
12. विद्या देवी | पुत्रीया दारा सिंह
13. परमजीत कौर |
14. अमरजीत कौर |
15. कान्तादेवी |
16. प्रवीण कौर |
17. गुरदयाल पुत्र शेरू
18. कृष्णा पत्नी गुरदयाल
19. कुलवीर सिंह | पुत्र / पुत्रीयां चन्द कौर
20. प्रवीण |
21. राजरानी |
22. सीता |
23. बिन्द्र |
24. पीतो |

जाति अराई सा. मानकसर तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

25. गुरतेज सिंह | पुत्र/पुत्रीयां जगन सिंह पुत्र जेठू सिंह
26. संजू सिंह
27. रचना
28. रिम्पी
29. झरमल
30. प्रकाश कौर पत्नी जगन सिंह — जाति अराई सा. मानकसर
31. जगनी पुत्री जेठू सिंह — तहसील संगरिया जिला
    हनुमानगढ़
32. गीतर देवी पत्नी किशन सिंह
33. सतपाल | पि. किशन सिंह
34. धर्मपाल |
35. जीताराम | पि. बचन सिंह
36. जीतोदेवी
37. राधेश्याम
38. सुरेन्द्र सिंह
39. जवाहरलाल |
40. तहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—प्रतिवादीगण

उपस्थित

1. श्री नक्षत्र सिह सिद्धू अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री गुरमीत सिह कलसी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 4
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया प्रतिवादी संख्या 40

निर्णय **दिनांक :—06.02.2023**

अधिवक्ता वादीया द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण का पंजीयत पता सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार वही है जो दावा शीर्षक में दर्ज है। वादीगण के नाम चक 17 एम.के.एस. खाता सं. 46/38 खाता दारा सिंह वगैरा ज.सं. 2070—73 में कुल 24.040 है. आराजी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त चको के उक्त खातों की नकल जमाबंदीयां संलग्न वाद पत्र है। दावा की दफा 2 में जवाहर सिंह पुत्र हरि सिंह के नाम आराजी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जवाहर सिंह पुत्र हरि सिंह फौत हो गया है। जिसके वारिसान वादी सं. 3 व 4 तथा प्रति. सं. 1 ता 4 ही है। जवाहर सिंह पुत्र हरि सिह के नाम दर्ज आराजी में वादी सं. 3 व 4 तथा प्रति सं. 1 ता 4 का बहिब का विरास्तन हक व हिस्सा बनता है। किंतु प्रति सं. 1 ता 4 ने अपने समस्त हक व हिस्सा का परित्याग वादी सं. 3 व 4 के पक्ष में कर दिया है। अतः उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रति सं. 1 ता 4 का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं है। अतः उक्त आराजी में जवाहर सिंह पुत्र हरि सिंह का नाम कलमजन किया जावे। तथा उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी सं. 6 नन्द कौर पत्नी गुरदेव सिंह

के नाम आराजी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। किंतु वादी सं. 6 ने अपना समस्त हक व हिस्सा वादी सं. 5 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। अतः उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी सं. 6 का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं है। इसलिए उक्त वादग्रस्त आराजी मे ंसे वादी सं. 6 नन्द कौर पत्नी गुरदेव सिंह का नाम कलमजन किया जावे। इसी प्रकार उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी सं. 7 व 8 के साथ प्रति. सं. 5 ता 9 भी बहिब के हकदार है। किंतु प्रति सं. 5 ता 9 ने अपने समस्त हक व हिस्से का परित्याग वादी सं. 7 व 8 के पक्ष में कर दिया है। अतः उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी सं. 5 ता 9 का कोई, हक व हिस्सा शेष नहीं है। इसी कदर की घोषणात्मक डिक्री वादीगण प्राप्त करना चाहते हैं। वादीगण ने दावा की दफा 2 मे ंदर्ज वादग्रस्त आराजी दावा की दफा 3 के अनुसार तथा साझा खाता के अन्य समस्त सहहिस्सेदारान के साथ तथा आराजी के एकीकरण के लिए काश्त की सुविधानुसार अच्छी मंदी अनुसार घरू बंटवारा कर रखा है। उक्त घरू बंटवारा मुताबिक प्राप्त आराजी का वादीगण निम्नानुसार खाता अलग कायम करवाने के अधिकारी एवं दावेदार हैः–

ए– वादी सं. 1 ता 4 ईशर सिंह पुत्र हरि सिंह 1/3 हिस्सा तरसेम सिंह पुत्र हरि सिंह 1/3 हिस्सा हरमीत सिंह, संदीप सिंह पि. जवाहर सिंह बहिब का 1/3 हिस्सा का हिस्साः– **चक 17 एम.के.एस**

पं. नं.	मु.नं.	कि.नं.
164/242	50	6/.228 7/.253 8/.126,14/.253,15/.228,17/.253गै.मु./.050 = 1.391 है.

बी– वादी सं. 5 गुरदेव सिंह पुत्र उदय सिंह का हिस्साः– **चक 17 एम.के.एस**

पं. नं.	मु.नं.	कि.नं.
164/242	50	8/.127 9/.253 11 ता 13/.253प्र. 18 ता 20/.253प्र. 1.898 है.
164/240	34	7–14–17/.253प्र. = 0.759 है.

सी– वादी सं. 7 व 8 जगसीर सिंह, जगजीत सिंह पि. नरोता सिंह का बहिब का हिस्साः– **चक 17 एम.के.एस**

पं. नं.	मु.नं.	कि.नं.
164/240	34	24/.253 25/.228 गै.मु./.025 = 0.506है.
164/241	43	3–4/.215 5/.190 6/.228 7–8/.253प्र. 13–14/.253प्र 15–16/.228 प्र. 17–18/.253प्र. 22/.253 प्र.गै.मु./0.215=3.290 है.
164/242	50	5/168= 0.168 है.

वादीगण दावा की दफा 4 के मुताबिक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नहीं है। लेकिन उक्त आराजी वादीगण के नाम नहीं दर्ज होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिये वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि वे वादीगण का खाता दावा की दफा 4 के मुताबिक अलग–अलग कायम करवा इसी मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवा रकम राज अलग–अलग कायम करवा लेवे लेकिन पहले तो वे टालमटोल करते रहे। लेकिन अन्त में पिछले सप्ताह वे वादीगण के इस निवेदन से स्पष्ट इंकारी हो गये। यही विनाय दावा है। साझा खाता के सहहिस्सेदार जगन सिंह

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पुत्र जेठू सिंह, बचन सिंह वल्द नानकी पत्नी सन्तराम, चन्द कौर पुत्री शेरू के फौत होने के बाद उनके वारिसान को बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है।

लिहाजा बाद तहकीकात वाद वादीगण बहक प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे चक 17 एम.के.एस. खाता सं. 46/38 खाता दारा सिंह वगैरा ज.सं. 2070–73 में जवाहर सिंह पुत्र हरि सिंह के नाम दर्ज आराजी के वादी सं 3 हरमीत सिंह पुत्र जवाहर सिंह व वादी सं. 4 संदीप सिंह पुत्र जवाहर सिंह बहिब के खातेदार काश्तकार है। उक्त खाता में प्रति. सं. 1 ता 4 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। उक्त खाता से जवाहर सिंह पुत्र हरि सिंह का नाम कलमजन किया जावे। तथा वादी सं. 6 नन्द कौर पत्नी गुरदेव सिंह के नाम दर्ज आराजी का वादी सं. 5 गुरदेव सिंह पुत्र उदय सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाता से वादी सं. 6 नन्द कौर पत्नी गुरदेव सिंह का नाम कलमजन किया जावे तथा प्रति सं. 5 ता 9 के नाम दर्ज आराजी के वादी सं. 7 जगसीर सिंह पुत्र नरोता सिंह व वादी सं. 8 जगजीत सिंह पुत्र नरोता सिंह को बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाता में प्रति सं. 5 ता 9 का नाम कलमजन किया जावे एवं वादीगण का खाता दावा की दफा 4 के अनुसार अलग कायम किया जाकर रकमराज अलग कायम किया जावे तथा इसी मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 5 ता 39 की तलबी साधारण सम्मन व रजिस्ट्रर्ड डाक एवं समाचार पत्र से करवाई गई। उक्त प्रतिवादी उपस्थित नहीं होने पर इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता अपना जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 40 की ओर से जवाब स्टेट प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी संख्या 7 जगसीर सिंह पुत्र नरोता सिह की ओर से आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। वकील वादीगण ने फार्म नं. 3 के साथ चक 17 एमकेएस की जमाबन्दी सम्वत 2070–73 खाता संख्या 46/38 खाता दारासिह वगैरा प्रदर्श करवाई गई है।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। वकील वादीगण ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 40 सहकाश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने जरिए अधिवक्ता अपना सहमति का जवाब दावा पेश कर दिया है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 39 की तलबी साधारण सम्मन व रजिस्ट्रर्ड डाक एवं समाचार पत्र से करवाये जाने पर भी उपस्थित नही हुये है, इसलिए वादीगण का वाद स्वीकार किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 चक 17 एमकेएस के अवलोकन से यह साबित है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी में सह–खातेदार है। प्रश्नगत आराजी पर वादीगण अर्सा दराज पूर्व

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

से घरू बंटवारे के मुताबिक काबिज है वर्तमान में भी कब्जाकाश्त है। वादीगण खाता विभाजन के अधिकारी है। वाद की दफा 4 के मुताबिक खाता अलग कायम किया जावे। अतः वादीगण खाता विभाजन की अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 39 तामील के बावजूद उपस्थित नही आने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के कारण वाद वाादीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाता है कि चक 17 एम.के.एस. खाता सं. 46/38 खाता दारा सिंह वगैरा ज.सं. 2070–73 में जवाहर सिंह पुत्र हरि सिंह के नाम दर्ज आराजी के वादी सं 3 हरमीत सिंह पुत्र जवाहर सिंह व वादी सं. 4 संदीप सिंह पुत्र जवाहर सिंह बहिब के खातेदार काश्तकार है। उक्त खाता में प्रति. सं. 1 ता 4 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। उक्त खाता से जवाहर सिंह पुत्र हरि सिंह का नाम कलमजन किया जावे। तथा वादी सं. 6 नन्द कौर पत्नी गुरदेव सिंह के नाम दर्ज आराजी का वादी सं. 5 गुरदेव सिंह पुत्र उदय सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाता से वादी सं. 6 नन्द कौर पत्नी गुरदेव सिंह का नाम कलमजन किया जावे तथा प्रति सं. 5 ता 9 के नाम दर्ज आराजी के वादी सं. 7 जगसीर सिंह पुत्र नरोता सिंह व वादी सं. 8 जगजीत सिंह पुत्र नरोता सिंह को बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाता में प्रति सं. 5 ता 9 का नाम कलमजन किया जावे एवं वादीगण का खाता दावा की दफा 4 के अनुसार अलग कायम कर रकम राज अलग से किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– रमेश देव आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 270/2021

1. ईशर सिंह | पि. हरि सिंह
2. तरसेम सिंह |
3. हरमीत सिंह | पि. जवाहर सिंह
4. संदीप सिंह |
5. गुरदेव सिंह पुत्र उदय सिंह
6. नन्द कौर पत्नी गुरदेव सिंह
7. जगसीर सिंह | पि. नरोता सिंह
8. जगजीत सिंह |

जाति अराई सा. मानकसर तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादीगण

बनाम

1. शकुन्तला देवी पत्नी जवाहर सिंह
2. छिन्द्र कौर | पुत्रीयां जवाहर सिंह
3. जीत कौर |
4. बलविन्द्र कौर |
5. कैलाश कौर पत्नी नरोता सिंह
6. बन्तो कौर | पुत्रीयां नरोता सिंह
7. परमजीत कौर |
8. संतोष कौर |
9. प्रियंका |
10. जगसीर सिंह | पि. दारा सिंह
11. संदीप सिंह |
12. विद्या देवी | पुत्रीया दारा सिंह
13. परमजीत कौर |
14. अमरजीत कौर |
15. कान्तादेवी |
16. प्रवीण कौर |
17. गुरदयाल पुत्र शेरू
18. कृष्णा पत्नी गुरदयाल
19. कुलवीर सिंह | पुत्र/पुत्रीयां चन्द कौर
20. प्रवीण |
21. राजरानी |
22. सीता |
23. बिन्द्र |
24. पीतो |

जाति अराई सा. मानकसर तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

25. गुरतेज सिंह | पुत्र/पुत्रीयां जगन सिंह पुत्र जेठू सिंह
26. संजू सिंह
27. रचना
28. रिम्पी
29. झरमल
30. प्रकाश कौर पत्नी जगन सिंह — जाति अराई सा. मानकसर
31. जगनी पुत्री जेठू सिंह — तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
32. गीतर देवी पत्नी किशन सिंह
33. सतपाल | पि. किशन सिंह
34. धर्मपाल
35. जीताराम | पि. बचन सिंह
36. जैतोदेवी
37. राधेश्याम
38. सुरेन्द्र सिंह
39. जवाहरलाल
40. तहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ रमेश देव आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्धू वादीगण मिन जामिन मुदई वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एवं वाद वादीगण में अन्तिम डिक्री दी जाती है कि चक 17 एम.के.एस. खाता सं. 46/38 खाता दारा सिंह वगैरा ज.सं. 2070—73 में जवाहर सिंह पुत्र हरि सिंह के नाम दर्ज आराजी के वादी सं 3 हरमीत सिंह पुत्र जवाहर सिंह व वादी सं. 4 संदीप सिंह पुत्र जवाहर सिंह बहिब के खातेदार काश्तकार है। उक्त खाता में प्रति. सं. 1 ता 4 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। उक्त खाता से जवाहर सिंह पुत्र हरि सिंह का नाम कलमजन किया जावे। तथा वादी सं. 6 नन्द कौर पत्नी गुरदेव सिंह के नाम दर्ज आराजी का वादी सं. 5 गुरदेव सिंह पुत्र उदय सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाता से वादी सं. 6 नन्द कौर पत्नी गुरदेव सिंह का नाम कलमजन किया जावे तथा प्रति सं. 5 ता 9 के नाम दर्ज आराजी के वादी सं. 7 जगसीर सिंह पुत्र नरोता सिंह व वादी सं. 8 जगजीत सिंह पुत्र नरोता सिंह को बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाता में प्रति सं. 5 ता 9 का नाम कलमजन किया जावे एवं वादीगण का खाता निम्नानुसार अलग कायम कर रकम राज अलग से किये जाने के आदेश दिये जाते हैः—

ए— वादी सं. 1 ता 4 ईशर सिंह पुत्र हरि सिंह 1/3 हिस्सा तरसेम सिंह पुत्र हरि सिंह 1/3 हिस्सा हरमीत सिंह, संदीप सिंह पि. जवाहर सिंह बहिब का 1/3 हिस्सा का हिस्साः— **चक 17 एम.के.एस**

पं. नं.	मु.नं.	कि.नं.
164/242	50	6/.228 7/.253 8/.126,14/.253,15/.228,17/.253गै.मु./.050 = 1.391 है.

बी– वादी सं. 5 गुरदेव सिंह पुत्र उदय सिंह का हिस्साः– **चक 17 एम.के.एस**

पं. नं.	मु.नं.	कि.नं.
164 / 242	50	8 / .127 9 / .253 11 ता 13 / .253प्र. 18 ता 20 / .253प्र. 1.898 है.
164 / 240	34	7–14–17 / .253प्र. = 0.759 है.

सी– वादी सं. 7 व 8 जगसीर सिंह, जगजीत सिंह पि. नरोता सिंह का बहिब का हिस्साः– **चक 17 एम.के.एस**

पं. नं.	मु.नं.	कि.नं.
164 / 240	34	24 / .253 25 / .228 गै.मु. / .025 = 0.506है.
164 / 241	43	3–4 / .215 5 / .190 6 / .228 7–8 / .253प्र. 13–14 / .253प्र 15–16 / .228 प्र. 17–18 / .253प्र. 22 / .253 प्र.गै.मु. / 0.215=3.290 है.
164 / 242	50	5 / .168– 0.168 है.

नोट :– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज.....×.....नल.....×.....मुब्लिक.....×.....निल.....×.....बाबत्.....×.....निल...100 / –...खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक....×.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 06.02.2023 को जारी किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया